

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाडनू

बनाम

मुकदमा नम्बर

म मुकदमा धारा

तारीख हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

16/4/25

पत्रावली पेश हुई।
श्रीमान पीठारीन अधिकारी अवकाश हैं।
पत्रावली दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

16/6/25

पत्रावली पेश हुई।
श्रीमान PO साब अन्य कार्य में व्यस्त है।
मिसल दिनांक 16/9/25 को पेश हो।

16/9/25

पत्रावली पेश हुई।
श्रीमान PO साब अन्य कार्य में व्यस्त है।
मिसल दिनांक 9/11/25 को पेश हो।

21/11/25

पत्रावली पेश हुई।
बार संघ, लाडनू ने कार्य स्थगित रखा है।
मिसल दिनांक 8/1/26 को पेश हो।

8/1/26

पत्रावली पेश हुई।
बार संघ, लाडनू ने कार्य स्थगित रखा है।
मिसल दिनांक 12/5/26 को पेश हो।

12/5/26

वकील वादी उप। मकरन का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा राजकीय शाता में दल भूमि 480/20 एवं 481/20 जमी की मोक पर रास्ता एवं सार्वजनिक सामग्री के रूप में काठ आ रही है जो मोक अनुलग किस्म परिवर्तन का निवेदन किया है सार्वजनिक सामग्री हेतु आवंटन नियम 1963 के तहत प्रणत से मावधान है जिसके तहत प्राधिकृत अधिकारी जिला कलक्टर है तथा रास्ते की तरमील तहसीलदार द्वारा लीज्ड रिकार्ड आपसी की अनुमति से किया जा सकता है।

अतः, वादी द्वारा चाही गई इच्छा
की पूर्ति हेतु अलग से प्रावधान
होने से बाद में किसी प्रकार
की रिलीफ़ दिया जाना निश्चयानुसार
नहीं है।

अतः वाद वादी का स्थायिक
क्रिया जाता है। तद्वतीकरण, ल्याडनू
कार्यक्रमिक शासन हेतु भूमि अधिग्रहण
प्रस्ताव निश्चयानुसार तैयार कर प्रस्तुत
करे साथ साथ तद्वती की कार्यवाही
करने। निश्चय नभए से फल रिकार
दाखिल दफ्तर रहे।

12/5/26